भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3154

जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

3154. श्री. गुमान सिंह दामोर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं और बड़ौदा, छोटा उदयपुर, अलीराजपुर, कुक्षी, बड़वानी, खरगोन और खंडवा को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी भीड़ वाले यातायात को देखते हुए चार-लेन के स्थान पर कम से कम छह-लेन के राजमार्गों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या झाबुआ (मध्य प्रदेश) से कुशलगढ (राजस्थान), रतलाम (मध्य प्रदेश) से बांसवाड़ा (राजस्थान) और थांदला (मध्य प्रदेश) से लिमडी (गुजरात) अंतर्राज्यीय राजमार्ग होने के बावजूद दो-लेन की सड़कें हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें चार-लेन की सड़क बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को समय-समय पर समानता, दक्षता और प्रभावशीलता के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

I. देश की लम्बाई/चौड़ाई से होकर गुजरने वाली सड़कें।
II. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों /राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ना।
III. पहाड़ी एवं पृथक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकता वाली सड़कें।
IV. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को काफी कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

V. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े इलाकों को जोड़ने में मदद करती हैं।

VI. 100 किमी की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

VII. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अनुकुल।

मंत्रालय को राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित/उन्नयन करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों (यूटी) से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मानदंडों की पूर्ति, संर्पकता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

ऐसे अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास और रखरखाव कार्य, जिसमें उनकी क्षमता को चार/छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों मानकों तक बढ़ाना शामिल है, यातायात घनत्व, सड़कों की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

राज्य राजमार्ग और अंतरराज्यीय राजमार्गों सहित सभी राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव, संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

*****